सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 3369 / 1021 / 2015 दिनांकः– 27.01.2017

के मामले में:

श्री हीरा लाल, D715
वरिष्ठ लिपिक,
उत्तर पश्चिम रेलवे,
ई.एम. अनुभाग मंडल कार्यालय,
अजमेर (राजस्थान) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

महाप्रबन्धक (कार्मिक), D716
उत्तर पश्चिम रेलवे–जयपुर,
मंडल कार्यालय,
अजमेर (राजस्थान) ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 19.07.2016, 07.09.2016 एवं 26.10.2016

उपस्थितः

19.07.2016
1. श्री हीरा लाल, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री जी.आर. मीना,डी.पी.ओ., नरेश भारद्वाज, सुश्री कविता गुप्ता एवं श्री पी.पी. सिंह, प्रतिवादी की ओर से।

07.09.2016
1. श्री हीरा लाल, शिकायतकर्ता ।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

26.10.2016
1. श्री हीरा लाल, शिकायतकर्ता ।
2. श्री जी. आर. मीना, डी.पी.ओ. प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 60 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत विकलांग कर्मचारी की वरियता सूची में संशोधन एवं प्रोफार्मा वेतन निर्धारण करने में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने एवं जानबूझ कर देरी करने से संबंधित दिनांक 03.12.2014 की शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत कीं ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि मण्डल कार्यालय, अजमेर द्वारा दिनांक 05.04.1993 को तृतीय श्रेणी पद के लिए लिखित परीक्षा हुई थी और दिनांक 14.06.1993 को परिणाम

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

निकाला गया था तथा 06.08.1993 को साक्षात्कार हुआ था । 815 पदों पर 3 प्रतिशत के हिसाब से 24 पद बने थे ओर बैकलाग रिक्तियां भी थीं । दिनांक 01.04.1988 से 31.12.1992 तक की अवधि में 815 पदों के एवज में विकलांग कोटे के 3 प्रतिशत के हिसाब से 24 पद बनते थे । 30.12.1994 को पैनल का अनुमोदन कर दिया गया और 05.01.1995 को विकलांगजनों का पैनल जारी कर दिया गया लेकिन विकलांगजनों को नियुक्ति नही दी गई । 24 पदों का जो पैनल विकलांगजनों के लिए बना था, उन 24 पदों पर रैंकर कोटे के कर्मचारियों का चयन कर लिया गया जबकि रैंकर कोटे की रिक्तियां थी ही नहीं । उन सभी को विकलांग कोटे के आररक्षित पदों पर पदोन्नत कर दिया गया । विकलांगजनों की नियुक्ति रैंकर से पहले होनी थी, इसलिए विकलांगजन उनसे ज्येष्ठ हैं । भारतीय रेल स्थापना मैनुअल भाग—1 प्रथम संस्करण के पैरा 06 में स्पष्ट उल्लेख है कि पहले आये पैनल में नियुक्ति के लिए चुने गए कर्मचारी बाद में आए पैनल में चुने गए कर्मचारयिों से हमेशा ही वरिष्ठ होंगे चाहे उनके कार्यग्रहण की दिनांक कोई भी हो । इसके अनुसार विकलांगजन रैंकरों से वरिष्ठ हैं और उन्हें ज्येष्ठा प्रदान की जाए ।

3. प्रतिवादी ने अपने पत्र संख्या ईडी/1030/13/1 भाग—5 दिनांक 16.07.2015 द्वारा सूचित किया कि मण्डल कार्यालय, अजमेर में विकलांग कोटा के लिपिक ग्रेड पे 1900 के पैनल में चयनित कर्मचारी श्री हीरा लाल से वरिष्ठ कर्मचारी श्री कैलाश महेश्वरी एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुड़ावत ने लिपिक के पद पर रैंकर कोटे के लिपिक ग्रेड पे 1900 के पैनल में चयनित कर्मचारी श्री फतेह सिंह से लिपिक ग्रेड पे 1900 में बाद में कार्य ग्रहण किया है । इसलिए श्री फतेह सिंह से श्री कैलाश महेश्वरी एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुड़ावत कनिष्ठ रहेंगे । तदनुसार श्री हीरा लाल पैनल स्थिति के अनुसार श्री कैलाश महेश्वरी एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुड़ावत से वरियता में कनिष्ठ रहेंगे । अतः उक्त स्थिति एवं आई.आर.ई.एम. भाग—1 के पैरा 302 के अनुसार श्री हीरालाल को वरिष्ठ कर्मचारी श्री फतेहसिंह से वरियता एवं प्रोफार्मा का लाभ नियमानुसार देय नहीं है ।

4. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 10/20.08.2015 द्वारा निवेदन किया है कि रेलवे तथ्यों को छुपाकर उनके प्रकरण को जानबूझ कर उलझा रहा है । उन्हें आज तक वरियता का निर्धारण व प्रोफार्मा पदोन्नति नहीं दी गई है । रेलवे विभाग ने निःशक्तजनों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया हुआ है जिससे मैं ही नहीं पूरे विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी उक्त सुविधा के लाभ से वंचित हो रहे हैं ।

.....3/—

5. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 16.07.2015 और शिकायतकर्ता के रिज्वाइंडर दिनांक 20.08.2015 को मध्यनज़र रखते हुए मामले में सुनवाई दिनांक 19.07.2016 को निर्धारित की गई ।

6. दिनांक 19.07.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि मण्डल कार्यालय, अजमेर के पत्र दिनांक 05.01.1995 द्वारा वेतनमान 950–1500 के वेतनमान में प्रोन्नति हेतु पैनल मण्डल कार्यालय द्वारा बना दिया गया परन्तु उन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गई और उस पैनल को षडयंत्रपूर्वक रोक दिया गया था । जिन 24 पदों के लिए उनका पैनल बना था, उन 24 पदों पर रैकर कोटे के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया आनन–फानन में जारी कर दी गई । जबकि रैकट कोटे की रिक्तियां थीं ही नहीं परन्तु उन सभी को विकलांग कोटे के आरक्षित पदों पर पदोन्नत कर दिया गया ।

7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि मण्डल कार्यालय अजमेर मे विभागीय चयन परीक्षा 31.01.1994 को आयोजित की गई थी । विभागीय पैनल 28.04.1995 को निकाला गया था । श्री फतेह सिंह का परिणाम 24.08.1995 को निकाला गया था । विकलांग कोटा के लिपिक ग्रेड पे 1900 के पैनल में चयनित कर्मचारी शिकायतकर्ता, श्री हीरा लाल से वरिष्ठ कर्मचारी श्री कैलाश महेश्वरी एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुड़ावत ने लिपिक के पद पर, रैंकर कोटे के लिपिक ग्रेड पे 1900 के पैनल में चयनित कर्मचारी श्री फतेह सिंह से लिपिक ग्रेड पे 1900 में बाद में कार्यग्रहण किया है । इसलिए श्री फतेह सिंह से श्री कैलाश महेश्वरी एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुडावत कनिष्ठ हैं । तदनुसार श्री हीरा लाल पैनल स्थिति के अनुसार श्री कैलाश महेश्वरी एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुड़ावत से वरियता में कनिष्ठ हैं । उक्त स्थिति एवं आई.आर.ई.एम. भाग–1 के पैरा – 302 के अनुसार श्री हीरालाल को वरिष्ठ कर्मचारी श्री फतेहसिंह से वरियता एवं प्रोफार्मा का लाभ नियमानुसार देय नहीं है ।

8. दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा संबंधित फाइल का अवलोकन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले से संबंधित सभी दस्तावेज इस न्यायालय में अगली सुनवाई के समय प्रस्तुत करें । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 07.09.2016 को निर्धारित की गई है ।

9. दिनांक 07.09.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि मण्डल कार्यालय, अजमेर के पत्र दिनांक 31.03.1993

.....4/–

के अनुसार दिनांक 05.04.1993 को तृतीय श्रेणी पद के लिए लिखित परीक्षा हुई थी और दिनांक 14.06.1993 को परिणाम निकाला गया था तथा 06.08.1993 को साक्षात्कार हुआ था । 815 पदों पर 3 प्रतिशत के हिसाब से 24 पद बने थे और बैकलाग रिक्तियां भी थीं । दिनांक 01.04.1988 से 31.12.1992 तक की अवधि में 815 के पदो के एवज में विकलांग कोटे के 3 प्रतिशत के हिसाब से 24 पद बनते थे । दिनांक 26.07.1994 के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि "However on the subject, it is advised that strict adherence to rule for physically handicapped persons recruitment must be followed." 30.12.1994 को पैनल का अनुमोदन कर दिया और 05.01.1995 को विकलांगजनों का पैनल जारी कर दिया लेकिन विकलांगजनों को नियुक्ति नहीं दी गई । षडयंत्रपूर्वक पैनल को रोक दिया गया था 24 पदों के लिए हमारा जो पैनल बना था, उन 24 पदों पर रैंकर कोटे के कर्मचारियो का चयन कर लिया गया जबकि रैंकर कोटे की रिक्तियां थी ही नहीं उन सभी को विकलांग कोटे के आरक्षित पदों पर पदोन्नत कर दिया गया । रैंकर कोटे के कर्मचारियों की परीक्षा 30.03.1995 को आयोजित की गई थी और 28.04.1995 को परिणाम निकाल घोषित कर दिया गया था और 03.05.1995 को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया । विकलांगजनों का पैनल 05.01.1995 को जारी किया गया । इसलिए हमारी नियुक्ति रैंकर से पहले होनी थी, इसलिए विकलांगजन उनसे ज्येष्ठ हैं । भारतीय रेल स्थापना मैनुअल भाग–1 प्रथम संस्करण के पैरा 06 में स्पष्ट उल्लेख है कि पहले आये पैनल में नियुक्ति के लिए चुने गए कर्मचारी बाद में आगे पैनल में चुने गए कर्मचारियें से हमेशा ही वरिष्ठ होंगे चाहे उनके कार्यग्रहण की दिनांक कोई भी हो । इसके अनुसार हम रैंकरों से वरिष्ठ हैं ओर हमें ज्येष्ठा प्रदान की जाए ।

10.. पिछली सुनवाई दिनांक 19.07.2016 के दौरान प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनवाई की आगामी तारीख को इस मामले के संबंधित दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था तथा मामले को दिनांक 07.09.2016 के लिए स्थगित कर दिया गया।

11. दिनांक 07.09.2016 को प्रतिवादी की ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए कार्यवाहियों का अभिलेख दिनांक 24.08.2016 को स्पीड डाक से भेजा गया था । प्रतिवादी की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

12. यह न्यायालय प्रतिवादी को इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2016 को 1130 बजे प्रातः उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया । यदि प्रतिवादी उपरोक्त सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है तो इस न्यायालय को शिकायतकर्ता को सुनने के पश्चात् फाइल में उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर आदेश पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । इस आदेश की एक प्रति सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रतिवादी को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भेजी जाए ।

13. दिनांक 26.10.2016 को सुनवाई के समय शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें न्याय प्रदान किया जाए ।

14. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि दिनांक 01.04.88 से 31.12.1992 तक मंडल पर तृतीय श्रेणी में 1217 रिक्तियां हुई, इनमें से रैंकर कोटा के पदों एवं रिक्तियों को एडजस्ट करने के बाद सीधी भर्ती में कुल 815 पद बनते थे, अतः 815 पदों पर विकलांग कोटा के निर्धारित 3 प्रतिशत के अनुसार कुल 24 पदों को विकलांग कोटे से भरा जाना था । दिनांक 05.01.1995 को 24 उम्मीदवारों का पैनल जारी किया गया । अतः रेलवे बोर्ड के नियमानुसार इन कर्मचारियों की वरिष्ठता सही निर्धारित की गई है । चूंकि कार्यालय लिपिक के पदों को रैंकर कोटा एवं सीधी भर्ती कोटा से भरा जाना है, जिनका परस्पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है । पैनल के जारी होने की तारीख से 5 माह तक नियुक्ति नहीं दिए जाने के वास्तविक कारणों को वर्तमान में लगभग 2 वर्ष बाद बताया जाना संभव नहीं है । आज कार्यालय में जो अभिलेख उपलब्ध है, उसी के अनुसार प्रकरण में स्थिति बताई गई है । नेचुरल जस्टिस के तहत शिकायतकर्ता के हित में यदि कोई निर्णय दिया जाता है तो नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए । उसके पश्चात् ही प्रकरण का निपटारा किया जाना उचित होगा ।

15. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा कार्यलय अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देता है कि वह शिकायतकर्ता के मामले पर वर्तमान नियमों के अधीन विचार करके प्रोन्नति प्रदान करे ।

16. मामले का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन